

नेपाल राजपत्र

भाग ३

श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

काठमाडौं, फागुन २५ गते २०३८ साल

श्री ५ को सरकार

उद्योग मन्त्रालयको

सूचना

श्री ५ को सरकारले कपास विकास समिति (गठन) आदेश, २०३७ (यस पछि मूल गठन आदेश भनिएको) को दफा ३ को उपदफा (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मूल गठन आदेशको दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिमको समितिको अध्यक्ष र सदस्य देहायबमोजिम हेरफेर तथा थप गरेको छ।

१. मूल गठन आदेशको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) को सट्टा देहाय-बमोजिमको खण्ड (क) राखिएको छ।
(क) सचिव, उद्योग मन्त्रालय— अध्यक्ष
२. मूल गठन आदेशको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (झ) पछि देहाय-बमोजिमको खण्ड (ञ) थप गरिएको छ।
३. (ज) सह-सचिव, उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक योजना तर्जुमा तथा कार्य मूल्याङ्कन महाशाखा)— सदस्य

आज्ञाले—

सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ

आधिकारिकता मुद्रण (१९) गवाट प्रमाणित श्री ५ को सरकारको सचिवले

२८३

हफ्ता नमूना

६ मार्च

नवीनकर ग्राह्याकर कि ५ दि

मार्च २६०९ कि ५६ निगत, धारणाक

नवीनकर कि ५ दि

किमलाहम गीह

नवीन

मार्च २६०९, नवीनकर (नवीन) नवीनकर नवीनकर नवीनकर कि ५ दि
नवीनकर किमलाहम कि (६) नवीनकर कि ६ नवीनकर कि (किमलाहम नवीनकर नवीनकर नवीनकर
किमलाहम किमलाहम कि (६) नवीनकर कि ६ नवीनकर किमलाहम नवीनकर नवीनकर नवीनकर
। नवीनकर नवीनकर नवीनकर नवीनकर नवीनकर नवीनकर नवीनकर नवीनकर

-नवीनकर नवीनकर कि (६) नवीनकर कि ६ नवीनकर किमलाहम नवीनकर नवीनकर .९

। नवीनकर नवीनकर (६) नवीनकर किमलाहम

नवीनकर -नवीनकर नवीनकर, नवीनकर (६)

-नवीनकर नवीनकर (६) नवीनकर कि ६ नवीनकर किमलाहम नवीनकर नवीनकर .९

। नवीनकर नवीनकर (६) नवीनकर किमलाहम

नवीनकर नवीनकर नवीनकर नवीनकर नवीनकर नवीनकर नवीनकर नवीनकर

नवीनकर -नवीनकर नवीनकर नवीनकर

-नवीनकर

नवीनकर नवीनकर

नवीनकर किमलाहम नवीनकर नवीनकर नवीनकर नवीनकर नवीनकर नवीनकर नवीनकर